

133

पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
"सौदामिनी", प्लॉट नं. 2, सैक्टर, 29-गुडगांव, 122001-हरियाणा
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी, केन्द्रीय कार्यालय, गुडगांव

संदर्भ: सू.का अ.अ., 05/आंतरिक-14/95

दिनांक: 01.09.2014

Sub: Information sought under RTI Act, 2005

Attached please find the copy of RTI request dated 12th August 2014 (received on 21.08.2014) from Shri J P Mishra, Bharmakumari Asrham, Narayan Nagar, Near ITI Hoshnagabad, under RTI Act, 2005

It appears that the information sought by the requester at Point No 4,5 and 9 may be related the Regions and therefore the aforesaid request is being forwarded to the Regional CPIOs for replying under RTI Act, 2005

It is requested that reply for Point No 4,5 and 9 may please be forwarded directly to the requester with intimation to the undersigned.

Thanking you,

भवदीय,

(सुधीर मित्तल)

महाप्रबंधक (के.आ.) एवं के.लो.सू.अधिकारी

Attach - As above.

10

CPIO, Regions - As per attached Annex-I

Copy to

- 1 Dy CVO : for kind information, please
- 2 Shri J.P. Mishra Bharmakumarai Asrham Narayan Nagar near ITI Hoshnagabad

P.T.T.
Sd/- (P.C.S.M.I.)
12/09/14

श्री वा. 21/8/14

प्रति, श्रीमान् लोक सूचना अधिकारी
21/8/14

पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
सौदामिनी प्लाट नं 2, सेक्टर 29, गुडगांव, हरियाणा

विषय-लोक सूचना अधिनियम 2005 के तहत अनियमितताओं की जानकारी उपलब्ध कराने के
सबध में आवेदन।

महोदय,

उपरोक्त विषयांकित निवेदन है कि निम्नलिखित बिन्दुओं द्वारा सारगर्भित जानकारी
उपलब्ध कराने हेतु बिन्दु :-

1. पावर ग्रिड की स्थापना कब हुई थी। उस समय कितने उपकेन्द्र एवं लाइने थी उस
समय के संबंधित उपकेन्द्र प्रभारी कौन थे? नाम बताइये।
2. पावर ग्रिड कार्पोरेशन इंडिया लिमिटेड भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत
लाइनों एवं उपकेन्द्रों का निर्माण करता है। स्पष्ट व प्रमाण दें।
3. पावर ग्रिड कार्पोरेशन इंडिया लिमिटेड भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत
किसानों को उपकेन्द्रों एवं लाइनों के निर्माण में मुआवजा वितरण करता है। उसकी
गाइडलाइन व मंजूरी केन्द्र एवं राज्य सरकार की सत्यापित कापी उपलब्ध करावे?
4. पावर ग्रिड कार्पोरेशन इंडिया लिमिटेड उपकेन्द्रों एवं लाइन निर्माणों में किसानों /
केन्द्र / राज्य सरकार की अराजी अधिग्रहित की गई है। उन किसानों / केन्द्र / राज्य
सरकार की अराजी का इस्तहार जारी किया गया है। किन्-किन समाचार पत्रों में
प्रकाशित किया गया है / किसके आदेश से किया गया है और यदि नहीं किया गया तो
क्यों? का विवरण प्रमाण सहित दें।
5. पावर ग्रिड कार्पोरेशन इंडिया लिमिटेड उपकेन्द्रों एवं लाइन निर्माणों में उपकेन्द्र
/ लाइन में आने वाली अराजी संख्या पटवारी हल्का ब्लाक तहसील जिला व राज्य
तथा आनवाले क्षेत्र का नाम मुआवजा राशि तथा किसानों के रकबा विवरण स्पष्ट व
चेकों की छायाप्रति उपलब्ध करावे।
6. पावर ग्रिड कार्पोरेशन इंडिया लिमिटेड केन्द्रीय कार्यालय, क्षेत्रीय मुख्यालय प्रभागी
कार्यालय एवं संचरण पथ कार्यालयों में स्वीकृति पदों के नाम प्रमाण सहित विवरण दें।
7. पावर ग्रिड कार्पोरेशन इंडिया लिमिटेड में स्थान्तरण नीति क्या है? और यदि कर्मचारी
और अधिकारी, पर्यवेक्षक के स्थान्तरण होते हैं स्थान्तरण हुए कर्मचारी अधिकारी के
बदले संबंधित की जगह दूसरा क्यों नहीं आता है, जहां पर स्थान्तरण किया गया है
वहा पर संबंधित पद स्वीकृत है का विवरण प्रमाण सहित विवरण दें।

8. पावर ग्रिड कार्पोरेशन इंडिया लिमिटेड केन्द्रीय कार्यालय, क्षेत्रीय मुख्यालय, प्रभागीय कार्यालय एवं संचरण पद कार्यालय में कौन सा कर्मचारी अधिकारी, पर्यवेक्षक, नियुक्ति दिनांक से आज दिनांक तक कौन कहां पर है नाम सहित विवरण दें।
9. पावर ग्रिड कार्पोरेशन इंडिया लिमिटेड में केन्द्रीय कार्यालय, क्षेत्रीय मुख्यालय, प्रभागीय कार्यालय में कर्मचारी/अधिकारियों एवं पर्यवेक्षकों के बच्चों के लिए वाहन लगे हुए हैं चालक एवं परिचालक के बिल बनाये जाते हैं लेकिन वाहन में परिचालक नहीं हैं जिससे बच्चों के साथ कभी भी हादसा होगा इसका जिम्मेदार कौन होगा?
10. पावर ग्रिड कार्पोरेशन इंडिया लिमिटेड संपूर्ण भारत में मानव संसाधन विभाग में प्रबंधक के कितने पद स्वीकृत हैं और कितने प्रबंधक हैं का विवरण प्रमाण सहित दें, तथा इंजीनियरों को मानव संसाधन में प्रभारी बनाकर यह अनियमितता किसके आदेश से की जा रही है का विवरण प्रमाण सहित दें।
11. पावर ग्रिड कार्पोरेशन इंडिया लिमिटेड अनपढ़ों एवं चालकों, तकनीशियों को कनिष्ठ अभियंता भारतीय संविधान के किस अधिनियम के तहत बनाया जाता है एवं इसके लिए केन्द्र एवं बोर्ड आफ डायरेक्टर का आदेश होता है प्रमाण सहित उपलब्ध करावे।

अतः आप से उपरोक्त बिन्दुओं द्वारा जानकारी चाही गई है इन बिन्दुओं में समझ और न समझ आपके विवेक के ऊपर है। बिन्दु क्रमांक 1 से 11 तक जानकारी बिन्दुवार दें। किसी भी प्रकार की हिलाहवाली अनियमितता को प्रेरित करेगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि देश की तरक्की व पारदर्शिता की चाही गई जानकारी उपलब्ध करावें।

“सधन्यवाद”

संलग्न : आई0पी0ओ0 क्र0 60C521491/92

दिनांक : 12.08.2014

स्थान: होशंगाबाद

मो. नं. - 08962551641

मध्यस्थ

जे.पी. मिश्रा फ़ैक्टर एवं
प्रदेशाध्यक्ष राष्ट्रीय जनसेना म0प्र0

C/o एल.पी. मिश्रा

ब्रह्म कुमारी आश्रम के पास नारायण नगर
आई.टी.आई. रोड होशंगाबाद म0प्र0

पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम)

POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD.
(A Govt. of India Enterprise)



डोंगतीय, लोवर नोंग्राह, लापालांग, शिलांग - 79 पावरग्रिड

दूरभाष: 0364-2536562, फ़ैक्स: 0364-2536387

Dongtieh, Lower Nongrah, Lalapang, Shillong - 793006 (Meghalaya)

Telephone: (0364-2536562, Fax: 0364-2536387.

उत्तर पूर्वी क्षेत्र पारेषण प्रणाली / North Eastern Region Transmission System

REGD A/D ONLY

संदर्भ सं / Ref No. NESH/PESM/1117/206

दिनांक/Date: 04.12.14

To,

Sh.J.P.Mishra
C/O Sh.L.P.Mishra
Near Brahmakumari Ashram, Narayan Nagar
ITI Road, Hosangabad, Madhya Pradesh- 461001

Sub: Your application Ref No: NIL dated 12.08.2014 information under RTI Act,2005

Dear Sir,

1.0 This is in reference to your RTI application submitted to CPIO, POWERGRID, Corporate Center, Gurgaon and received by CPIO, POWERGRID, Shillong for providing information against your query no: 4, 5 & 9. The information pertaining to POWERGRID NERTS has been received from the concerned department and is point wise furnished as below.

2.0 **Point No-4**

The information sought by you is not specific as to which line or sub-station the information is required. It may be mentioned here that POWERGRID does not acquire land for construction of Transmission Line. With regard to Substations, generally, the land is acquired through State Government and the concerned State Government issues notification for acquisition of Land.

Point no-5

Presently, POWERGRID NERTS has been executing/ executed number of transmission lines including Substations and Bay Extensions. The information as sought by you is voluminous (thousands of pages). In case you need information against specific line/sub-station, the same may be informed.

Point no-9

Since, no specific information/data has been sought, it is not possible to furnish reply based on assumption. However, wherever exclusively school buses have been provided, provision for helper/attendant exist.

The address of the appellate authority is also mentioned hereunder for your information:

Sh. R.K. Singh, ED (NERTS)
POWERGRID, Dongtieh, Lower Nongrah,
Lalapang, Shillong, 793006 (Meghalaya)

Kindly acknowledge receipt of this letter.

Thanking you,

Yours Faithfully


04.12.2014

DGM (PESM) & CPIO
POWERGRID, Shillong

Copy to: GM (CP) & CPIO, CC
(NIO): DGM (Vigilance), Shillong

केन्द्रीय कार्यालय: "सौदामिनी", प्लॉट संख्या २, सेक्टर २९, इफ्फको चौक के नजदीक, गुडगाँव (हरियाणा) - 122001, भारत
Corporate office: "Saudamini", Plot No. 2, Sector 29, Near IFFCO Chowk, Gurgaon (Haryana) - 122001, INDIA
वेबसाइट / Website: <http://www.powergridindia.com>